नईदुनिया

संपादकीय

वर्दी में मेडल, मैदान से थाना

मप्र की खेल नीति में नया करियर गोल

खिलाड़ी देश के लिए पसीना बहाता है और जान जोखिम में डालता है। बदले में उसे अनिश्चितता नहीं, बल्कि स्थायित्व चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला खेलो और बढ़ो का संदेश देता है। इससे पुलिस को फिट जवान मिलेंगे और खेल को करियर का दर्जा मिलेगा। पंजाब और हरियाणा ने साबित किया है कि नौकरी और सम्मान मिलने से पदक भी आते हैं। अब मध्यप्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार ने गृह विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश पुलिस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन किया है। अब ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक सीधे नियुक्ति मिलेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ऊंचाई की बाध्यता से उन्हें छूट रहेगी। यह फैसला केवल नौकरी देने का नहीं, बल्कि खेल को सम्मानजनक करियर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

संशोधित नियमों के अनुसार ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने अथवा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे उप निरीक्षक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों और अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी आरक्षक पद के लिए पात्र होंगे। नियुक्तियां अनारक्षित श्रेणी में होंगी और केवल उन्हीं खेलों को मान्यता मिलेगी जो पिछले तीन ओलंपिक में शामिल रहे हैं। इससे फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है। भोपाल का ऐशबाग हॉकी की नर्सरी माना जाता है और मलखंब में प्रदेश ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई है। इसके बावजूद अनेक खिलाड़ी पदक जीतने के बाद रोजगार के लिए भटकते रहे हैं। अब वर्दी और पेंशन की गारंटी मिलने से माता-पिता भी बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

इस नीति का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सकता है। जब खेल के माध्यम से सरकारी नौकरी का रास्ता खुलेगा तो गांवों में खेल मैदान, प्रशिक्षक और सुविधाओं की मांग भी बढ़ेगी। आदिवासी अंचलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा।

हालांकि नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सख्त निगरानी जरूरी है। फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच खेल प्राधिकरण से कराई जाए और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। साथ ही अन्य विभागों में भी खिलाड़ियों के लिए विशेष अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। सरकार ने पहला कदम उठाया है, अब जरूरत मजबूत खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षकों और दीर्घकालिक योजना की है। यदि यह पहल प्रभावी ढंग से लागू हुई तो मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में खेल प्रतिभाओं की नई पहचान बन सकता है।

आजकल

खुद ही मर्ज, खुद ही दवा

गुडवर्क फैक्ट्री बनाने का फर्जीवाड़ा

सुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है, जब व्यवस्था स्वयं अपना ऑडिटर बन जाए। मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में सीएम हेल्पलाइन 181 के साथ जो हुआ, वह इसी परीक्षा में विफल होने की कहानी है। यहां थाना प्रभारी ने खुद फर्जी शिकायतें दर्ज कराईं, खुद ही उनका निराकरण किया और गुडवर्क के नाम पर पुरस्कार की उम्मीद पाल ली। मिला क्या? निलंबन और लाइन अटैच का दंड। यह केवल छवि चमकाने का प्रयास नहीं, बल्कि व्यवस्था के आत्मघाती चरित्र का उदाहरण है।

जांच में सामने आया कि 21 मोबाइल नंबरों से लगभग 250 संदिग्ध शिकायतें दर्ज कराई गईं। बाद में उन्हीं शिकायतों का संतोषजनक निराकरण दिखाकर उन्हें बंद कर दिया गया। यानी शिकायत भी अपनी और समाधान भी अपना। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, लेकिन यहां शिकायतकर्ता, जांचकर्ता और लाभार्थी एक ही तंत्र बन गया।

सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य जनता को त्वरित न्याय दिलाना है, लेकिन यदि इसे केवल प्रदर्शन सुधारने का माध्यम बना दिया जाए तो व्यवस्था का भरोसा टूटता है। असली शिकायतकर्ता, जिसकी जमीन का विवाद हो या जिसे राशन न मिला हो, उसकी आवाज नकली शिकायतों के शोर में दब जाती है।

समाधान स्पष्ट है। जिस थाने के खिलाफ शिकायत हो, उसका निराकरण उसी थाने से न कराया जाए। जिला स्तर पर स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ बने और हर माह शिकायतों का यादृच्छिक ऑडिट हो। केवल बंद हुई शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और समस्या के स्थायी समाधान को भी प्रदर्शन का आधार बनाया जाए। एक थाना प्रभारी पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। जब तक गुडवर्क का मतलब केवल फाइल बंद करना रहेगा, तब तक ऐसे फर्जीवाड़े दोहराए जाते रहेंगे। सीएम हेल्पलाइन जनता की उम्मीद है, उसे गुडवर्क फैक्ट्री नहीं, न्याय का माध्यम बने रहना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जनता का विश्वास है और सबसे बड़ा दंड उसी विश्वास का टूट जाना।

भारत में अल-नीनो की आहट

जलवायु संकट से निपटने सरकार की आकस्मिक योजना

मौसम अब केवल मौसम विभाग की रिपोर्ट नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की थाली से सीधा जुड़ा मुद्दा बन चुका है। जून-सितंबर 2026 के मानसून काल में अल-नीनो सक्रिय होने की आशंका ने सरकार को पहले से ही सतर्क कर दिया है। खेत बचाओ अभियान शुरू करने का निर्णय इसी चिंता का परिणाम है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर हर राज्य के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने को कहा है। यह पहली बार है जब मानसून के महीनों पहले इतने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हुई है।

अल-नीनो एक मौसमी घटना है, जिसका सीधा संबंध प्रशांत महासागर के तापमान से है। जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, तो भारत समेत दक्षिण एशिया में मानसून कमजोर पड़ता है। सामान्यत: अल-नीनो वर्ष में भारत में औसत से 10 प्रतिशत तक कम बारिश होती है। 2011-12 और 2016-17 में अल-नीनो के कारण भारत में सूखे जैसे हालात बने थे। 2014-15 में 13.85 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ था। अमेरिकी एजेंसी एनओएए ने 2026 में अल-नीनो की 75 प्रतिशत संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग भी सतर्क है। कम बारिश का मतलब है खरीफ की फसल पर सीधा संकट, जलाशयों में पानी की कमी, रबी सीजन के लिए भूजल संकट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार।

इसी खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को 26 बिंदुओं वाला निर्देश जारी किया है। हर राज्य को जिला स्तर पर आकस्मिक फसल योजना बनानी है। इसका उद्देश्य है कम बारिश की स्थिति में भी किसानों को विकल्प देना।

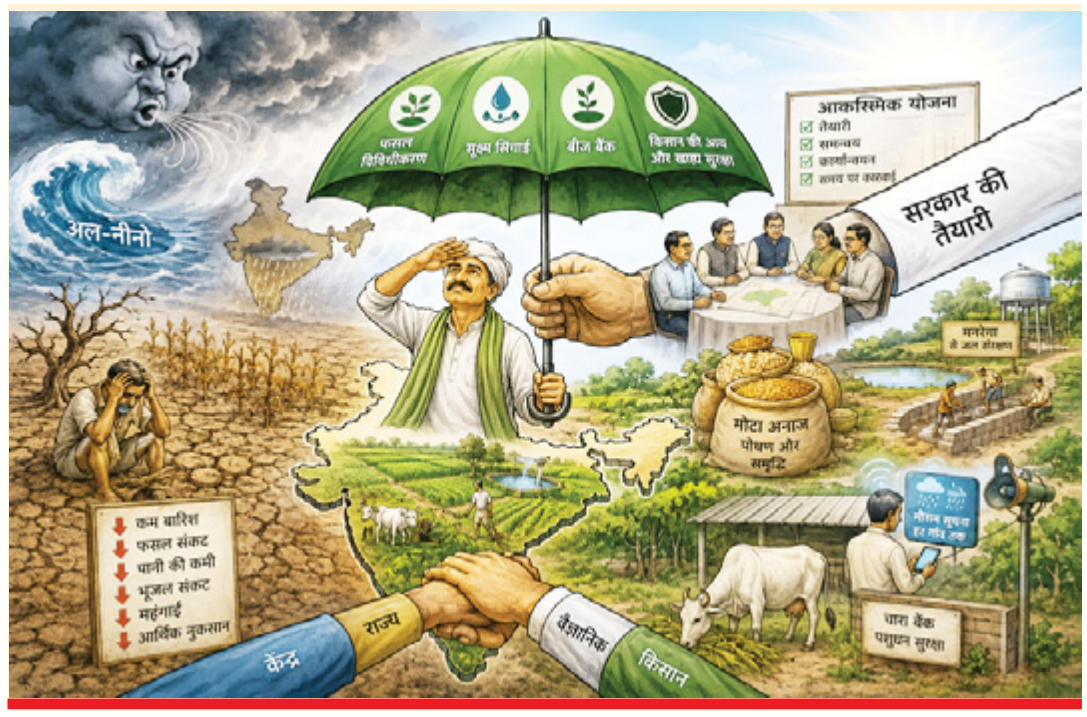

इस योजना के तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला, फसल विविधीकरण यानी धान और मक्का जैसी ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों की जगह मोटे अनाज - बाजरा, ज्वार, रागी और कुटकी - को बढ़ावा देना। ये फसलें कम पानी में तैयार होती हैं और पोषण से भरपूर हैं। दूसरा, सूक्ष्म सिंचाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा, बीज बैंक। सूखा-रोधी बीजों का भंडार हर ब्लॉक में रखा जाएगा, ताकि बारिश देर से हो तो अल्प अवधि की किस्में तुरंत बोई जा सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि यह योजना विन-विन समझौता है। इससे किसान की आय सुरक्षित होगी और देश की खाद्य सुरक्षा भी बनी रहेगी। सरकार का दावा है कि नई दिल्ली में हुई वार्ताओं के बाद सभी राज्य इससे सहमत हैं।

2014 और 2015 में लगातार दो साल सूखा पड़ा था। तब तैयारी देर से शुरू हुई। नतीजा यह हुआ कि दलहन के दाम 200 रुपये किलो तक पहुंच गए, प्याज ने रुलाया और कृषि विकास दर 1 प्रतिशत से नीचे आ गई। इस बार सरकार प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक कर रही है। नीति आयोग के अनुसार हर 1 प्रतिशत कम मानसून सकल घरेलू उत्पाद को 0.35 प्रतिशत तक घटा देता है। 10 प्रतिशत कम बारिश का मतलब 3.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान है। इसलिए 50,000 करोड़ रुपये का क्लाइमेट रिस्क फंड बनाने का प्रस्ताव है। इससे बीमा, मुआवजा और वैकल्पिक रोजगार पर खर्च होगा।

समस्या यह है कि अभी तक केवल 450 जिलों को ही इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि देश में 750 से अधिक कृषि जिले हैं। कई राज्यों में अभी तक कंटिंजेंसी प्लान कागजों से बाहर नहीं निकला है। बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहां सिंचाई का रकबा 40 प्रतिशत से कम है, स्थिति सबसे नाजुक है। दूसरी चुनौती भूजल की है। पंजाब और हरियाणा में धान की खेती ने भूजल स्तर 30 मीटर नीचे पहुंचा दिया है। अगर इस बार भी धान बोया गया और बारिश नहीं हुई, तो आने वाले वर्षों में खेती ही नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए क्रॉप डायवर्सिफिकेशन अब मजबूरी है, विकल्प नहीं।

खेत बचाओ अभियान तभी सफल होगा, जब इसे जन-अभियान बनाया जाए। पहला, हर ग्राम पंचायत में क्लाइमेट चौपाल लगे और किसान को बताया जाए कि उसके क्षेत्र में कम बारिश की स्थिति में कौन-सी फसल अधिक मुनाफा देगी। दूसरा, मनरेगा को खेत तालाब, मेड़बंदी और चेक डैम से जोड़ा जाए। तीसरा, मौसम की सटीक जानकारी के लिए भारतीय मौसम विभाग के साथ निजी एजेंसियों को जोड़कर हर गांव तक तीन दिन का माइक्रो-फोरकास्ट पहुंचाया जाए। चौथा, बाजार व्यवस्था ऐसी हो कि मोटे अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले, वरना किसान इन्हें बोएगा नहीं। मिलेट मिशन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ना होगा। पांचवां, पशुधन को बचाना होगा। सूखे में सबसे पहले चारे का संकट आता है, इसलिए हर ब्लॉक में फॉडर बैंक बनाए जाएं।

अल-नीनो प्राकृतिक घटना है। इसे रोका नहीं जा सकता, परंतु इसकी तैयारी की जा सकती है। सरकार ने समय रहते चेतावनी को समझा और खेत बचाओ अभियान शुरू किया। यह सराहनीय है, परंतु असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन की है। फाइलों से निकलकर यह योजना खेत तक पहुंचे, तभी बात बनेगी।

जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, वर्तमान की सच्चाई है। 1971 में हरित क्रांति ने देश को भूख से बचाया था। 2026 में इंद्रधनुषी क्रांति यानी विविध फसल, कम पानी और स्मार्ट खेती देश को सूखे से बचाएगी। अल-नीनो आए या ला-नीना, किसान की आय दोगुनी करने का सपना तभी पूरा होगा, जब खेत और नीति दोनों मौसम के मिजाज को समझें। सरकार की आकस्मिक योजना एक शुरुआत है। अब जरूरत है कि केंद्र, राज्य, वैज्ञानिक और किसान एक टीम बनें, क्योंकि खेत बचेगा तभी भारत बचेगा और भारत बचेगा तभी दुनिया की खाद्य टोकरी भरी रहेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

स्लोवाकिया में भारत की कूटनीतिक दस्तक

कूटनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश की धरती पर कदम रखता है, तो वह केवल दौरा नहीं, इतिहास बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया दौरा ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है। यह यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक साझेदारी में बदलने का ऐलान है। साथ ही यह उस भरोसे का प्रमाण है, जो दुनिया अब भारत में देख रही है। यूरोप के हृदय में बसा यह छोटा-सा देश भारत की वैश्विक आकांक्षाओं का नया सहयोगी बनकर उभरा है।

स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद बने इस देश से भारत के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे, परंतु सीमित दायरे में। व्यापार 2025-26 में करीब 650 मिलियन डॉलर का रहा, जो इसकी क्षमता से बहुत कम है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने उस दायरे को तोड़ दिया।

दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया। यह दर्जा विश्वास, प्राथमिकता और भविष्य का प्रतीक है। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। भारत के लिए यह मध्य यूरोप में प्रवेश द्वार बन सकता है। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी - इन चारों स्तंभों पर सहमति बनी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में स्लोवाकिया की खुली घोषणा इस दौरे की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत रही। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का समर्थन करते हुए वैश्विक संस्थाओं को आज की हकीकत के अनुरूप बनाने की बात कही।

यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि जी-4 से बाहर का कोई यूरोपीय देश पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में भारत के पक्ष में आया है। स्लोवाकिया का यह रुख भारत के ग्लोबल साउथ नेतृत्व को मजबूती देता है। जब यूरोप का ही एक देश कहे कि 21वीं सदी की सुरक्षा परिषद में भारत की अनुपस्थिति असंतुलन है, तो चीन और अन्य स्थायी सदस्यों पर दबाव बनता है।

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस की उपलब्धियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज कई विकसित देशों से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यूपीआई, डिजिटल इंडिया और को-विन जैसे मॉडल को स्लोवाकिया अपनाना चाहता है।

रक्षा सहयोग इस साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। स्लोवाकिया का रक्षा उद्योग छोटा, परंतु तकनीकी रूप से उन्नत है। बख्तरबंद गाड़ियां, तोप के गोले और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में उसकी विशेषज्ञता है। मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उत्पादन की संभावना तलाशी जा रही है। यह यूरोप में भारत का रक्षा निर्माण केंद्र बन सकता है।

साथ ही भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया ने सहयोग का वादा किया। यह समझौता पिछले आठ वर्षों से लंबित है। स्लोवाकिया के समर्थन से इसमें गति आने की उम्मीद है। ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए नया बाजार खुलेगा। कूटनीति केवल समझौतों से नहीं, संस्कृति से भी गहरी होती है। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना इसका प्रमाण है। जब दो सभ्यताएं एक-दूसरे के दर्शन को समझती हैं, तो साझेदारी अटूट बनती है।

स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस - फर्स्ट क्लास' से सम्मानित किया। यह स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को दिया जाने वाला यह 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक कद का प्रतीक है। स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में इंडिया चेयर स्थापित करने पर भी सहमति बनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही दोनों देशों की साझा सोच है।

भू-राजनीतिक दृष्टि से भी स्लोवाकिया का महत्व विशेष है। यह पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसे चार यूरोपीय देशों से घिरा है। यूक्रेन युद्ध के बाद यह नाटो का अग्रिम मोर्चा बन गया है। भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) में स्लोवाकिया को जोड़ने पर चर्चा हुई। मुंबई से मास्को तक का यह मार्ग स्वेज नहर का विकल्प बन सकता है। स्लोवाकिया के माध्यम से भारतीय माल मध्य और पश्चिमी यूरोप तक 40 प्रतिशत कम समय में पहुंच सकेगा।

इसके अलावा स्लोवाकिया परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। उसकी 60 प्रतिशत बिजली परमाणु संयंत्रों से आती है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) में सहयोग से भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है।

संबंधों को व्यापक साझेदारी का नाम देना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना चुनौतीपूर्ण होगा। व्यापार असंतुलन अभी भारत के पक्ष में है। स्लोवाकिया चाहता है कि भारतीय कंपनियां वहां निवेश करें। ऑटोमोटिव, आईटी और फार्मा क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने होंगे।

वीजा प्रक्रिया को भी सरल बनाना होगा। अभी भारतीय छात्रों और पेशेवरों को शेंगेन वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि स्लोवाकिया फास्ट ट्रैक वीजा व्यवस्था लागू करे, तो कुशल मानव संसाधन का आदान-प्रदान बढ़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती चीन का बढ़ता प्रभाव है। स्लोवाकिया में चीनी निवेश बढ़ रहा है। भारत को गुणवत्ता और भरोसे के दम पर अपनी जगह मजबूत करनी होगी।

स्लोवाकिया का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन उसका संदेश बड़ा है। उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद भागीदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, रक्षा से लेकर संस्कृति तक, भारत की आवाज सुनी जा रही है।

यह दौरा एक्ट ईस्ट के साथ एक्ट यूरोप नीति का भी विस्तार है। फ्रांस, जर्मनी और इटली के बाद अब मध्य यूरोप में भारत की पैठ बढ़ रही है। 2047 तक विकसित भारत का सपना ऐसे ही कदमों से साकार होगा।

स्लोवाकिया ने भारत को सम्मान दिया, समर्थन दिया और साझेदारी दी। बदले में भारत उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भरोसा दे रहा है। यह केवल लेन-देन नहीं, बल्कि दो लोकतंत्रों का लोक-संबंध है। यूरोप के हृदय से शुरू हुई यह यात्रा आने वाले दशकों में भारत की वैश्विक भूमिका को नई दिशा देगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

उर्दू के नाम पर सियासी पर्दा - आंकड़ों ने खोली हकीकत

लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चल रही रायशुमारी ने इसी आवाज को मंच दिया तो कई दशकों से पाले गए मिथक एक झटके में बिखर गए। तीन दिन में 2.25 लाख सुझाव और उनमें भी सबसे बुलंद आवाज महिलाओं की रही। परंतु चर्चा की असली चिंगारी बनी वह रिपोर्ट, जिसने बताया कि प्रदेश की 62% मुस्लिम महिलाओं में से केवल 31% ही उर्दू पढ़-लिख पाती हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि आईना है। वह आईना, जो बताता है कि भाषा को मजहब की जंजीर बनाकर किस तरह एक पूरे समुदाय, खासकर महिलाओं को मुख्यधारा से काटा गया।

13 जून की समय-सीमा से पहले राज्य सरकार ने यूसीसी पर जनता से सुझाव मांगे थे। अपील के बाद सुझावों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जानकारी है कि तीन दिन के भीतर सवा दो लाख सुझाव आ चुके हैं और दो दिन में सवा तीन करोड़ लोगों तक एसएमएस भी भेजे जा चुके हैं। सबसे अहम बात यह रही कि तीन तलाक जैसी प्रथा के विरुद्ध महिलाएं सबसे आगे आईं। छतरपुर, सागर, रीवा, सतना, जबलपुर और विंध्य के जिलों में मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर कहा कि उन्हें बराबरी का कानूनी अधिकार चाहिए। छतरपुर के श्याम खरे कहते हैं कि राज्य सरकार ने नागरिकों के सुझाव लेने के बाद यूसीसी लागू करने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। यह जनसमर्थन बताता है कि यूसीसी का विरोध समाज का नहीं, बल्कि कुछ संगठनों का है।

रायशुमारी के बीच प्रदेशभर से मिले करीब 13 हजार प्रारंभिक सुझावों का विश्लेषण चौंकाता है। इसमें पाया गया कि सुझाव देने वालों में 62% मुस्लिम महिलाएं हैं, परंतु इनमें से केवल 31% को ही उर्दू का ज्ञान है। यानी 69% मुस्लिम महिलाएं उर्दू नहीं जानतीं। वे हिंदी और स्थानीय बोलियों में पढ़ती-लिखती हैं, सरकारी फॉर्म भरती हैं और अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में भेजती हैं। फिर उर्दू को मुसलमानों की जुबान का तमगा किसने दिया? जवाब है - वोट बैंक की सियासत ने।

आजादी के बाद एक पूरा तंत्र खड़ा किया गया, जिसने उर्दू को पहचान का सवाल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम बेटी जब रोजगार, अदालत या अस्पताल जाती है, तो भाषा की दीवार से टकराती है। उर्दू के नाम पर उसे अलग रखा गया और अलग रखकर पिछड़ा बनाया गया।

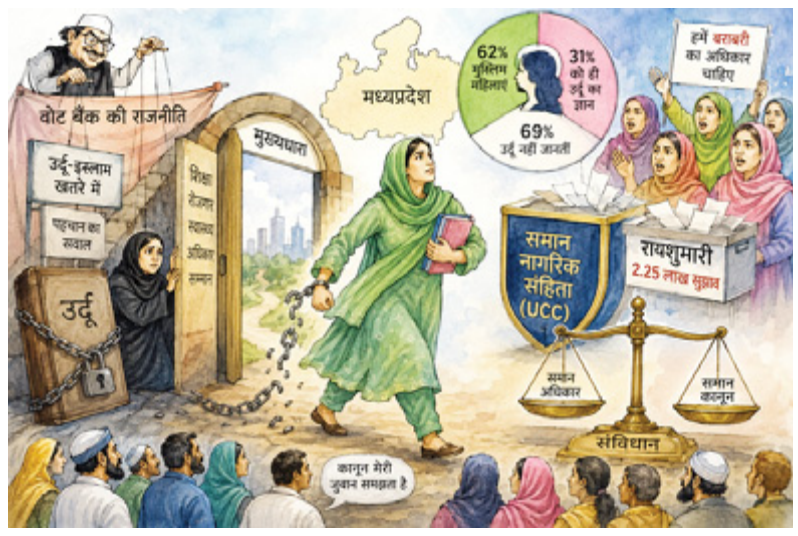

मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है। पटवारी के खसरे से लेकर अस्पताल की पर्ची तक सब हिंदी में है। प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी में होती हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी उर्दू की मांग लगभग शून्य है। ऐसे में 69% मुस्लिम महिलाओं का हिंदी जानना मजबूरी नहीं, बल्कि समझदारी है। वे जानती हैं कि तरक्की की चाबी हिंदी और अंग्रेजी से खुलेगी, केवल उर्दू से नहीं।

दिलचस्प यह है कि यूसीसी का विरोध करने वाले संगठन उर्दू और इस्लाम के खतरे में होने का नारा देते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि मुस्लिम महिला कानूनी असुरक्षा के खिलाफ आवाज उठा रही है। ग्वालियर, चंबल और जबलपुर में उच्च स्तरीय समिति को मिले सुझाव बताते हैं कि आम मुसलमान यूसीसी से डरा नहीं, बल्कि आशान्वित है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों से बात कर अधिक से अधिक सुझाव मांगे हैं। यह पारदर्शिता इसलिए जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई यह न कह सके कि हमसे पूछा नहीं गया।

उर्दू एक खूबसूरत भाषा है। यह गालिब, फैज और मंटो की विरासत है। उसे बचाया जाना चाहिए, परंतु उसे पहचान का ठप्पा बनाकर मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा से काटना उचित नहीं है। सरकार को दो काम तुरंत करने होंगे। पहला, मदरसों का आधुनिकीकरण, जिसमें उर्दू के साथ विज्ञान, कंप्यूटर और अंग्रेजी भी अनिवार्य हों। दूसरा, कानूनी साक्षरता अभियान, जिसके तहत हर जिले में महिला कानून मित्र नियुक्त हों, जो हिंदी में मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार समझाएं। यूसीसी लागू करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि एकसमानता का अर्थ एकरूपता नहीं है। आदिवासी रीति-रिवाज और क्षेत्रीय परंपराएं सुरक्षित रहें, परंतु लैंगिक भेदभाव समाप्त हो।

मध्यप्रदेश की रायशुमारी ने सियासी पर्दा उठा दिया है। 62% मुस्लिम महिलाओं में केवल 31% को ही उर्दू आना यह बताता है कि समाज बहुत आगे निकल चुका है, जबकि सियासत अभी भी अतीत में अटकी हुई है। महिला जब तीन तलाक के खिलाफ बोल रही है, तो वह किसी मौलाना से नहीं, संविधान से उम्मीद कर रही है।

2.25 लाख सुझाव केवल संख्या नहीं, बल्कि नए सामाजिक अनुबंध का संकेत हैं। यह अनुबंध कहता है कि हमें मजहब के नाम पर अलग कानून नहीं, बल्कि नागरिक के नाम पर समान कानून चाहिए। भाषा कोई भी हो, भूख हिंदी में लगती है और दर्द हर जुबान में एक जैसा होता है। यूसीसी यदि इस जनभावना का सम्मान करता है, तो वह देश को तोड़ेगा नहीं, बल्कि जोड़ेगा, क्योंकि आखिर में देश भाषा से नहीं, बराबरी से बनता है। और बराबरी की शुरुआत उस दिन होगी, जिस दिन 69% उर्दू न जानने वाली मुस्लिम महिला भी यह कह सके कि कानून मेरी जुबान समझता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)